दिनांकः 28 फरवरी ,2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या– 500/79–वि–1–09–1 (क) 6/2009
लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी 2009

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा
सचिव।

संख्या–500(1) /79–वि–1–09–1(क) 6/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
9– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(अलख नारायण)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2009

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

एतद्द्वारा भारत गणराज्य में साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2, 3 एवं 5 दिनांक 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी हुई समझी जायेगी

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(3–क) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर उदग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसा माल लाता या मंगवाता है जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अन्तर्गत किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान किया जा चुका हो और ऐसा व्यापारी इस आशय के लिए विहित घोषणा-पत्र ऐसे समय के अन्दर जैसा कि विहित किया जाय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जमा कर की धनराशि, उस व्यापारी या किसी अनुवर्ती व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा समझी जायेगी जिसे उक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(6) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, किसी व्यापारी से कर उदग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता या मंगवाता है, जिसे:–

(एक) उसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग किये बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित किया गया हो;

(दो) या तो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय या पुनर्विक्रय किया गया हो।

स्पष्टीकरण–केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 और धारा 6-क यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगी कि अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अविनिश्चित न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किए बिना माल को राज्य के बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और माल के राज्य के बाहर या निर्यात के दौरान पारेषित हो जाने या बिक्री हो जाने के पश्चात, व्यापारी कर के रूप में संदत्त ऐसी धनराशि की वापसी या समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है, जिसमें ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसा माल राज्य के बाहर अंतरित किया गया हो या अन्तर्राजीय या निर्यात के दौरान बिक्री किया गया हो।"

(ग) उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"5—जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो या ऐसा माल खरीदा हो जिस पर प्रवेश कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, ऐसा कर ऐसे व्यापारी को वापस या समायोजित कर दिया जायेगा, जिसके द्वारा ऐसा माल उस स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित कर दिया गया हो अथवा या तो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय कर दिया गया हो।"

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"6—जहां धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर देय हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।"

धारा 12 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (एक) में शब्द 'ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा' के स्थान पर 'ऐसा माल क्रेता को परिदत्त नहीं करेगा' रख दिए जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(6) इस धारा में जमा कर की धनराशि उस व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा की गयी समझी जायेगी जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया हो। निर्माता ऐसे कर को क्रेता व्यापारी के लिए जारी टैक्स इनवाईस या बिक्री इनवाईस, जैसी भी स्थिति हो, में पृथक से दर्शायेगा। इसे कर के भुगतान का साक्ष्य समझा जायेगा, जब तक कि टैक्स इनवाईस या सेल इनवाईस, जैसी भी स्थिति हो, कूटरचित या मिथ्या या फर्जी न पायी जाय या वैधानिक रूप से जारी न की गयी हो या कपटपूर्वक प्राप्त न की गयी हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) स्थानीय क्षेत्र में माल के उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश पर कर उद्ग्रहण और संग्रह की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कर व्यवस्था को सरल करने और कतिपय विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाए,–

(क) किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा यदि ऐसे माल पर कर का भुगतान किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर दिया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायित्व किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के पूर्व अथवा बाद में प्रोद्भूत हो उक्त अधिनियम के अधीन कर की संपूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।